

कार्यावली सं०-6

विभागीय अधिसूचना सं०- 6441 दिनांक- 06.10.2018 की कंडिका 09 के आलोक में अररिया जिला के ऑटो का भाड़ा Point to Point भाड़ा पर विचार हेतु Point to Point भाड़ा निर्धारण का प्रस्ताव इस प्रकार है:-

क्र०	प्रमुख पड़ाव स्थल	अनुमानित दूरी कि० मी०	निर्धारित भाड़ा (रु० में)
1	फॉरबिसगंज बस स्टैंड से बथनाहा	6	15
2	फॉरबिसगंज बस स्टैंड से चकरदाहा	10	24
3	फॉरबिसगंज बस स्टैंड से जोगबनी	12	27
4	फॉरबिसगंज बस स्टैंड से रामपुर	3	10
5	फॉरबिसगंज बस स्टैंड से साहेबगंज	7	18
6	फॉरबिसगंज बस स्टैंड से पचीरा	14	30
7	फॉरबिसगंज बस स्टैंड से पजरकट्टा	14	30
8	फॉरबिसगंज बस स्टैंड से देवीगंज	16	32
9	फॉरबिसगंज बस स्टैंड से सिरिसिया	12	27
10	फॉरबिसगंज बस स्टैंड से मझुआ	7	18
11	फॉरबिसगंज बस स्टैंड से अम्हारा	8	20
12	फॉरबिसगंज बस स्टैंड से खवासपुर	14	30
13	फॉरबिसगंज बस स्टैंड से गुर्मी	16	32

300

विचारोपरान्त उक्त भाड़ा निर्धारण की स्वीकृति दी गई

विभागीय पत्रांक पत्रांक -1612 दिनांक- 26.02.2021 कि निदेश के आलोक में सभी ऑटो स्टैंडों पर Point to Point निर्धारित भाड़ा की सूची प्रदर्शित कराया जाना आवश्यक है। प्रमंडल के सभी जिला परिवहन पदाधिकारी एवं मोटरयान निरीक्षक को निदेश दिया जाता है कि ऑटो स्टैंडों पर Point to Point निर्धारित भाड़ा की सूची प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करें साथ ही सभी ऑटो पर भी पर Point to Point निर्धारित भाड़ा का अंकन कराया जाए।

इसके अलावे निम्न मार्गों पर परिचालित ऑटो भाड़ा का निर्धारण का प्रस्ताव जिला परिवहन पदाधिकारी, अररिया से प्राप्त हुआ है जिसकी स्वीकृति पर विचार किया जाना है :-

क्र०	प्रमुख पड़ाव स्थल	अनुमानित दूरी कि० मी०	निर्धारित भाड़ा (रु० में)
1	फॉरबिसगंज बस स्टैंड	4	12
2	फॉरबिसगंज बस स्टैंड से गैयारी	8	20
3	फॉरबिसगंज बस स्टैंड से रजोखर	7	18
4	फॉरबिसगंज बस स्टैंड से अररिया RS	8	20
5	फॉरबिसगंज बस स्टैंड से नारायाणपुर	14	30
6	फॉरबिसगंज बस स्टैंड से गिदवास	16	32
7	फॉरबिसगंज बस स्टैंड से छतियौना	12	27
8	फॉरबिसगंज बस स्टैंड से हरिया चौक	5	14
9	फॉरबिसगंज बस स्टैंड से डोरिया	10	24
10	फॉरबिसगंज बस स्टैंड से बैरगाछी	8	20
11	फॉरबिसगंज बस स्टैंड से कुसियारगांव	13	28

12	फॉरबिसगंज बस स्टैंड से रामपुर	8	20
13	फॉरबिसगंज बस स्टैंड से मटियारी	16	32
14	फॉरबिसगंज बस स्टैंड से लहतोरा	9	22

विचारोपरान्त उक्त भाड़ा निर्धारण की स्वीकृति दी गई

विभागीय पत्रांक पत्रांक -1612 दिनांक- 26.02.2021 कि निदेश के आलोक में सभी ऑटो स्टैंडों पर **Point to Point** निर्धारित भाड़ा की सूची प्रदर्शित कराया जाना आवश्यक है। प्रमंडल के सभी जिला परिवहन पदाधिकारी एवं मोटरयान निरीक्षक को निदेश दिया जाता है कि ऑटो स्टैंडों पर **Point to Point** निर्धारित भाड़ा की सूची प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करें साथ ही सभी ऑटो पर भी पर **Point to Point** निर्धारित भाड़ा का अंकन कराया जाए।

कार्यावली सं०-7

प्राधिकार की बैठक की दिनांक 29.06.2021 के बाद जीप/ऑटो रिक्शा के निर्गत स्थायी/अस्थायी का ब्यौरा-—